

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

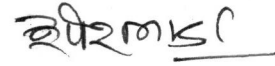
क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(ए-233) अलेसे-1/1050

दिनांक:- 02/12/21

कार्यालय आदेश

श्री अमित कुमार पारीक, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (निलम्बित), हाल मुख्यालय-निदेशालय, कोष एवं लेखा, जयपुर के विरुद्ध कार्यालय कोषालय, कोषाधिकारी (पेंशन) जयपुर में कार्यरत अवधि के दौरान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वारा पंजीकृत अपराध संख्या 72/2019, अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018 के संबंध में इस निदेशालय द्वारा श्री पारीक को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में गिरफ्तारी दिनांक 27.03.2019 से विभागीय आदेश क्रमांक 1147 दिनांक 29.03.2019 के द्वारा निलम्बित किया गया था।

श्री पारीक को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री पारीक द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 53(1) के अनुसरण में श्री अमित कुमार पारीक, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1(निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

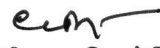

(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(ए-233) अलेसे-1/1050

दिनांक:- 02/12/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 कोषाधिकारी, दौसा।
- 2 संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
- 3 श्री अमित कुमार पारीक, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1(निलम्बित), मुख्यालय-निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 5 उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 6 गार्ड फाईल/पदस्थापन शीट।


(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)